

10-10
18-10-2021

तारीख मौसला
१०/१०/२१



तहसील अधिकारी श्रीमती राजेश्वरी जी सिंह (आर.ए.एस.)
सम्बान

1 बंदी बाई एवं राजेश मीणा पुत्री भेरूलाल जी, पत्नी राजेश कुमार जी जति
मीणा निवासी बिसलाई तहसील बीमोज हाल पकान नं० 136 महावीर नगर II कोटा
जिला कोटा

(वादिनी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जहाँ तहसीलदार बीमोज जिला कोटा

असल से विज्ञाप किया
(प्रतिवादी)
पदा

वादिनी की ओर से श्री भीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार बीमोज

कोट. प्रति प्रमाण
18/10/21
रजिस्ट्रार कोटा
बीमोज, जिला कोटा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्दाज दूकरी

निर्णय

वादिनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बिसलाई तहसील बीमोज में वादिनी व
अन्य सहखातदारान के शासलाती खाते में खसरा नम्बर 153 की 0.86 हेक्टर, खसरा
नम्बर 160 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 की 3.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 558/28
की 0.43 हेक्टर कुल चार किता की 5.80 हेक्टर भूमि दर्ज बली आ रही है। जिसमें वादिनी
सहखातदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी 2074-2077 मलमल है।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादिनी के पिता भेरूलाल जी के नाम दर्ज बली आ रही
थी। भेरूलाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। जिसमें
वादिनी का नाम सहवन से घर का नाम बंदीबाई दर्ज हो गया। जो मलमल है।

यह कि वादिनी का नाम राजेश मीणा है। निर्वाचन आयोग द्वारा आईडी कार्ड, तथा
आधार कार्ड व राशनकार्ड में राजेश मीणा दर्ज है। इस प्रकार बंदीबाई व राजेश मीणा एक
ही महिला का नाम है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी
का नाम राजेश मीणा के स्थान पर बंदी बाई दर्ज कर दिया है जो मलमल है जिसके कारण
वादिनी का भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर
सकती। वर्तमान में भी वादिनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है

हस्ताक्षर

राजेश्वरी जी सिंह
तहसील अधिकारी, बीमोज

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम बद्री बाई पुत्री के स्थान पर राजेश मीणा पुत्री भरूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादिनी ने निवेदन किया है कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में वादिनी व अन्य सहायकदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 153 की 0.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 160 की 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 447 की 3.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 558/28 की 0.43 हेक्टर कुल चार किता की 5.80 हेक्टर भूमि में वादिनी का नाम रेवडी बाई पुत्री सूरजमल के स्थान पर बादाम बाई पुत्री सूरजमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में रेवडी बाई व बादाम बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है।

वादिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर वादिनी एवं सहायकदारान के मध्य विभाजन हो जाने से राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम बिसलाई के खसरा नम्बर 609/447 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 613/558 की 0.11 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 617/153 की 0.43 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हेक्टर में वादिनी का 1/2 हिस्सा में वादिनी का नाम बद्रीबाई पुत्री भरूलाल के स्थान पर राजेश पुत्री भरूलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम बिसलाई के खसरा नम्बर 609/447 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 613/558 की 0.11 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 617/153 की 0.43 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हेक्टर में वादिनी का नाम बद्री बाई पुत्री भरूलाल के स्थान पर राजेश पुत्री भरूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को सरे इजलास में सुनाया गया।

असल से मिलान किया
पढ़ा सुना

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)
 न्यायाधीश- श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर ए एस)

(5)

उनवान
 बंदी बाई उर्फ राजेश मीणा, पुत्री भेरूलाल जी, पत्नी राजेन्द्र कुमार जी जाति मीणा निवासी बिसलाई तहसील दीगोद हाल मकान नं0 136 महावीर नगर II कोटा जिला कोटा

(वादिनी)

बनाम
 राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादिनी की ओर से - श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
 प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती
 मिसल नं 135 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - : वादिनी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम बिसलाई के खसरा नम्बर 609/447 की 0.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 613/558 की 0.11 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 617/153 की 0.43 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.42 हेक्टर में वादिनी का नाम बंदी बाई पुत्री भेरूलाल के स्थान पर राजेश पुत्री भेरूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 30.9.22 को जारी किया गया।

मिलान स्टांम्प अर्जी दावा			स्टांम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपयें	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टांम्प	0	0	स्टांम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा			स्टांम्प अर्जी	0	0
स्टांम्प वजूह	0	0			
सबूत			महन्ताना	0	0
महन्ताना	0	0	वकील		
वकील			खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय	0	0
बबत इजराय	0	0	हुकमनामा		
हुकमनामा			मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

मेरे प्रति प्रमाणित
 नदयम इम

सहायक कलेक्टर
 दीगोद जिला कोटा